(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 196 नई दिल्ली, 3 अगस्त 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, कांडला पत्तन न्यास में केन्द्रीय भंडारण निगम के कंटेनर फ्रेट स्टेशन में प्रदत्त धूमीकरण सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु केन्द्रीय भंडारण निगम से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/49/2007-सीडब्ल्यूसी

केन्द्रीय भंडारण निगम **-------** **आवेदक**

आ दे श

(जून 2010 के 9 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) में केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) में धूमीकरण एवं डिस्इन्फेस्टेशन एक्सटेंशन सर्विस स्कीम (डीईएसएस) सेवाएं प्रदान करने के लिए दरों का अनुमोदन मांगने वाले केन्द्रीय भंडारण निगम के दिनांक 30 अगस्त 2007 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने पिछली बार, कांडला स्थित सीडब्ल्यूसी - सीएफएस के दरमान को 28 जून 2007 को अनुमोदन प्रदान किया था। सीडब्ल्यूसी / के.भं.नि. के प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव को निपटाते समय देखा गया था कि वार्षिक लेखा और आय अनुमान धूमीकरण प्रभारों से आय दिखा रहे थे जबकि इसके पिछले दरमान में (इस मद में) कोई प्रशुल्क अनुमोदित नहीं किया गया था । के.भं.नि. ने अपने प्रस्ताव में इस सेवा के लिए कोई प्रशुल्क प्रस्तावित नहीं किया था। के.भं.नि. ने तर्क दिया है कि यह सेवा प्रदान करना कानून के अन्तर्गत अनिवार्य था और यह सेवा प्रदान करने के लिए यह एक मान्यता प्राप्त एजेन्सी है।

इस प्राधिकरण ने देखा कि, चूंकि के.भं.नि. सीएफएस को महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रदत्त लाइसैंस एग्रीमैंट के आधार पर प्रचालित कर रहा है, इस सेवा के लिए प्रशुल्क लगाने हेतु इसकी मंजूरी (स्वीकृति) आवश्यक होगी। अतएव, के.भं.नि. को सलाह दी गई थी कि वह धूमीकरण और डेस सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु 31 अगस्त 2007 तक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे।

3. इस पृष्ठभूमि में के.भं.नि. ने विचाराधीन प्रस्ताव दाखिल किया है। इस सेवा के लिए के.भं.नि. द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क निम्नानुसार है :-

ब्यौरा	20‘कंटेनर	40‘कंटेनर
धूमीकरण प्रभार मिथाइल ब्रोमाइड के साथ	रू .1200/-	रू .2250/-
धूमीकरण प्रभार एल्यूमीनियम फॉस्फाइड के साथ	रू . 400/-	रू . 800/-

नोट्स :-

(i) उपभोज्य (रसायन पदार्थ) इत्यादि के मूल्य में +5% की वृद्धि की दशा में उपरोक्त प्रशुल्क में परिवर्तन (वृद्धि) की जा सकती है।

(ii) केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों पर लगाया जाने वाला सेवा कर / कोई अन्य कर अतिरिक्त लगाया जाएगा।

4. प्रदत्त परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार के.भं.नि. का प्रस्ताव कांडला पत्तन न्यास और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी राय आमंत्रित करते हुए अग्रेषित किया गया था। केपीटी और कांडला पत्तन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन (केपीएसए) के अलावा हमें, एक अनुस्मारक के बावजूद किसी उपयोगकर्त्ता / उपयोगकर्त्ता संगठन से कोई राय प्राप्त नहीं हुई है। केपीएसए से प्राप्त राय को के.भं.नि. को प्रतिपूरक सूचना के रू प में भेज दिया गया है। केपीएसए की राय (प्रतिक्रिया) पर के.भं.नि. ने कोई अभ्युक्ति प्रदान नहीं की है।

5. प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर दिनांक 7सितंबर 2007 के अपने पत्र के माध्यम से, के.भं.नि. से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। के.भं.नि. ने दिनांक 10 अक्तूबर 2007 के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न और के.भं.नि. द्वार प्रस्तुत उत्तर संक्षेप में सारणी रू प में नीचे दिए हैं :-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न</th><th>के.भं.नि. द्वारा प्रदत्त उत्तर</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रस्तावित दरों का औचित्य बताने के लिए लागत ब्यौरा प्रस्तुत करें।</td><td>धूमीकरण के लिए प्रस्तावित दरों का औचित्य सिद्ध करने के लिए लागत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-
मिथाइल ब्रोमाइड के साथ धूमीकरण के प्रभार
<table>
<tr><th>मिथाइल ब्रोमाइउ की मात्रा का ब्यौरा</th><th>20‘कंटेनर प्रति सीबीएम 48 ग्राम से अधिक 60 ग्राम तक</th><th>40‘कंटेनर प्रति सीबीएम 48 ग्राम से अधिक 60 ग्राम तक</th></tr>
<tr><td>680 ग्राम प्रत्येक के उपयोग किए जाने वाले क्रेनों की संख्या और दर</td><td>3 क्रेन रू.210 प्रत्येक की दर रू.630</td><td>6क्रेन रू.210 प्रत्येक की दर रू.1260</td></tr>
<tr><td>स्थापना लागत-तकनीकी कर्मचारी आदि</td><td>रू.120</td><td>रू.240</td></tr>
<tr><td>श्रमिक प्रभार</td><td>रू.100</td><td>रू. 200</td></tr>
<tr><td>उपकरणों पर मूल्य ोास</td><td>रू. 150</td><td>रू..150</td></tr>
<tr><td>के.भं.नि. का अपना भाग</td><td>रू.150</td><td>रू.300</td></tr>
<tr><td>आयकर अवयव</td><td>रू. 50</td><td>रू. 100</td></tr>
<tr><td>प्रति कंटेनर प्रस्तावित प्रशुल्क</td><td>रू. 1200</td><td>रू. 2250</td></tr>
<tr><td>वर्तमान प्रशुल्क</td><td>रू. 900</td><td>रू. 1700</td></tr>
</table>
एल्यूमीनियम फोस्फाइड के साथ धूमीकरण के प्रभार
<table>
<tr><th>एल्यूमीनियम फोस्फाइड की मात्रा का ब्यौरा</th><th>20‘कंटेनर प्रति टीईयू 240 ग्राम</th><th>40‘कंटेनर प्रति एफईयू 480 ग्राम</th></tr>
<tr><td>उपयोग किए जाने</td><td>240 ग्राम</td><td>480 ग्राम</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

वाले एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की मात्रा		
रू. 300/- प्रतिकिलो ग्राम की दर से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की लागत	रू. 72/-	रू.144/-
स्थापना व्यय - तकनीकी कर्मचारी	रू. 100/-	रू. 200/-
श्रमिक प्रभार सुरक्षा उपकरण	रू. 50/- रू. 25/-	रू. 100/- रू. 50/-
के.भं.नि. का अपना भाग	रू. 128/-	रू. 231/-
आयकर अवयव	रू. 25/-	रू. 80/-
प्रति कंटेनर प्रस्तावित प्रशुल्क	रू. 400/-	रू. 800/-
वर्तमान प्रशुल्क	रू. 300/-	रू. 600/-

(ii)	उपभोज्य (रसायन) की दर में परिवर्तन के साथ प्रस्तावित दर में वृद्धि प्रस्तावित किए जाने का आधार बताएं । प्रस्तावित दर में शामिल किए गए उपभोज्य की आधार दर भी बताई जाए ।	धूमीकरण के लिए प्रस्तावित दरों में वृद्धि, स्थापना लागत और श्रमिक प्रभार में वृद्धि के साथ, धूमीकरण के दौरान रसायनों तथा अन्य उपभोज्यों की दरों में वृद्धि पर आधारित है ।
(iii)	पिछले 3 वर्षो में के.भं.नि. द्वारा धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए उगाही गयी दर और उन कंटेनरों की संख्या जिनको यह सेवा प्रदान की गई थी बताएं।	पिछले तीन वर्षों के दौरान का अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	एल्यू.फॉस्फा. के साथ धूमीकृत कंटेनरों की संख्या	दर / प्रभार	मिथा.ब्रोमा. से धूमीकृत कंटेनरों की संख्या	दर / प्रभार
2004-05	735	रू.300/- प्रति टीईयू और रू.600/- प्रति एफईयू एल्यू.फॉ. की सामान्य मात्रा पर	466	रू.550/- प्रति टीईयू और रू. 1100/- प्रति एफईयू मिथा.ब्रोमा. की सामान्य मात्रा पर
2005-06	4762	-वही-	2190	-वही-
2006-07	6078	-वही-	7035	मिथाइल ब्रोमाइड की 24 ग्राम से 48 प्रति एम 3 मात्रा के साथ रू. 990/- प्रति टीईयू और मिथाइल ब्रोमाइड की 21 ग्राम से 18 ग्राम प्रति एम3 मात्रा के साथ रू. 1790/- प्रति टीईयू एनएसपीएम दरें ये दरें एनएसपीएम की अपेक्षाओं के अनुसार खरीदे गए उपकरणों की लागत के कारण बढ़ी

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>हैं ।</td></tr>
</table>

6. प्रस्तुत सूचनाओं की छानबीन पर, के.भं.नि. से दिनांक 18 दिसम्बर 2007 के हमारे पत्र द्वारा, कुछ और बिन्दुओं पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण / सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । नियमित रू प से स्मरण कराते रहने पर के.भं.नि. ने दिनांक 27 अप्रैल 2010 के अपने पत्र के माध्यम से अपना उत्तर प्रस्तुत किया है । हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों और के.भं.नि. द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संक्षेप में सारणी रू प में नीचे दिए गए हैं:

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न</th><th>के.भं.नि.द्वारा प्रस्तुत उत्तर</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>(क) प्रस्तावित धूमीकरण प्रभारों की गणना के लिए विचारित रसायनों यथा, मिथाइल ब्रोमाइड एवं एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की यूनिट लागत को प्रमाणित करने के लिए वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें ।</td><td>इन रसायनों की यूनिट लागत प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रू प में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड के लिए दिनांक 22 नवम्बर 2006 और मिथाइल ब्रोमाइड के लिए दिनांक 26 जुलाई 2008 के एआरसी की प्रति प्रस्तुत की गई है ।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) प्रस्तावित धूमीकरण प्रभारों की गणना के लिए विचारित रसायनों की प्रति यूनिट खपत को, प्रमाणित करने के लिए 20‘ और 40‘ कंटेनरों की अलग-अलग विस्तृत संख्या के साथ वर्ष 2007-08 (नवम्बर 2007 तक) 20‘ और 40‘ क्ंटेनरों के धूमीकरण के लिए मिथाइल ब्रोमाइड और एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की वास्तविक खपत बताई जाए ।</td><td>वर्ष 2007-08 में (नवम्बर 2007 तक) 20‘ और 40‘ क्ंटेनरों के धूमीकरण के लिए मिथाइल ब्रोमाइड और एल्यूमीनियम फॉस्फाइड की वास्तविक खपत निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">वर्ष</th><th colspan="2">मि.ब्रो.से धूमीकृत कंटेनर</th><th rowspan="2">मि.ब्रो.की 680 ग्राम एवं 454 ग्राम मात्रा के क्रेनों की संख्या</th><th colspan="2">एल्यू.फॉस्फा से धूमीकृत कंटेनर</th><th rowspan="2">एल्यू. फॉस्फा. की मात्रा (क्रि.ग्राम. में)</th></tr>
<tr><th>20‘</th><th>40‘</th><th>20‘</th><th>40‘</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अप्रैल 2007 से नवम्बर 2007</td><td>650</td><td>56</td><td>680 ग्राम प्रत्येक के 1213 क्रेन और 454 ग्राम प्रत्येक के 266</td><td>3031</td><td>7</td><td>730.800 कि.ग्राम</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के वार्षिक लेखा में सूचित की गई वास्तविक आय से विधिवत समाधान करते हुए दिनांक 10 अक्तूबर 2007 के अपने पत्र के संलग्नक-II में प्रस्तुत ब्यौरों के संदर्भ से 20‘और 40‘कंटेनरों के धूमीकरण प्रभार से प्राप्त आय का ब्यौरा दीजिए । साथ ही, वर्ष 2006-07 में धूमीकरण प्रभारों से प्राप्त वास्तविक आय के लिए भी ऐसा ही ब्यौरा दीजिए ।</td><td>वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान 20‘और 40‘कंटेनरों के लिए धूमीकरण प्रभारों से प्राप्त आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>धूमीकृत कंटेनर 20‘</th><th>उगाही गई राशि रू.</th><th>धूमीकृत कंटेनर 40‘</th><th>उगाही गई राशि रू.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2004-05</td><td>887</td><td>379100/-</td><td>157</td><td>189200/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2005-06</td><td>5704</td><td>2271110/-</td><td>624</td><td>917900/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2006-07</td><td>6991</td><td>2936600/-</td><td>561</td><td>832590/-</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>13582/-</td><td>5586810/-</td><td>1342</td><td>1939690/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 के दौरान मिथाइल ब्रोमा. एवं एल्यू.फॉस्फा. से धूमीकृत किए जाने के लिए संभावित 20‘और 40‘कंटेनरों की अनुमानित संख्या विधिवत दिखाते हुए प्रचलित दरों पर तथा प्रस्तावित दरों पर संभावित धूमीकरण</td><td>वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान धूमीकरण से प्राप्त वास्तविक आय निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>धूमीकृत कंटेनरों की संख्या 20‘</th><th>उगाही गई राशि रू.</th><th>धूमीकृत कंटेनरों की संख्या 40‘</th><th>उगाही गई राशि रू.</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>आय का अनुमान बताएं ।</td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>2007-08</td><td>5503</td><td>2116650/-</td><td>237</td><td>399290/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2008-09</td><td>982</td><td>303870/-</td><td>5</td><td>4190/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2009-10</td><td>6823</td><td>1786205/-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>13308</td><td>4206726/-</td><td>242</td><td>403480/-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>(क) जून 2007 में के.भं.नि. के दरमान को संशोधित करते समय प्राधिकरण द्वारा विचार की गई लागत विवरणी ने बाह्य अर्जित सेवाओं और प्रबंधन एवं प्रशासन उपरिव्ययों के लिए मार्केट फेसिलिटेशन (एमएफ) भुगतानों पर, जिनमें अन्य लागत तत्वों के अलावा के.भं.नि. द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के मजदूरी एवं वेतन शामिल हैं, विचार किया था । इसको देखते हुए पुष्टि कीजिए और सिद्ध कीजिए कि तकनीकी कार्मिकों की तैनाती और धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने हेतु लगाए गए श्रमिकों की मद में अनुमानित लागत दोहरायी नहीं गई है और दरमान के सामान्य संशोधन में इन पर विचार नहीं किया गया था । इस सेवा को प्रदान करने के लिए लगाए गए तकनीकी कार्मिकों तथा श्रमिकों की अलग-अलग संख्या भी बताएं ।</td><td>धूमीक्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए गए तकनीकी कार्मिकों तथा श्रमिकों का, पिछले तीन वर्षो में, अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>वर्ष</th><th>तैनात किए गए तकनीकी कार्मिक</th><th>तैनात किए गए श्रमिक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2007-08</td><td>02</td><td>818</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2008-09</td><td>02</td><td>407</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2009-10</td><td>02</td><td>703</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) पिछले तीन वर्षों में धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए वास्तविक श्रमिक प्रभार और तकनीकी कर्मचारियों की लागत प्रस्तुत करें</td><td>दो तकनीकी कर्मचारी केवल धूमीकरण सेवाओं के लिए तैनात किए गए थे और उनसे सीएफएस प्रचालन का कोई अन्य काम नहीं करवाया जाता था । उल्लेख किया गया है कि दो तकनीकी कार्मिकों का वर्तमान मासिक वेतन लगभग रू. 75000/- प्रतिमाह है । पिछले 3 वर्षों के दौरान तकनीकी कर्मचारियों की वास्तविक लागत और वास्तविक श्रमिक प्रभार नीचे दिए गए हैं :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ष</th><th>तकनीकी कर्मचारियों की संख्या</th><th>तकनीकी कर्मचारियों की स्थापना लागत</th><th>श्रमिकों की संख्या</th><th>दर प्रति घंटा</th><th>कुल राशि (रू.)</th><th>कुल व्यय (रू पये)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2007-08</td><td>2</td><td>540000</td><td>818</td><td>150</td><td>122700</td><td>662700</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2008-09</td><td>2</td><td>620000</td><td>407</td><td>150</td><td>61050</td><td>681050</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2009-10</td><td>2</td><td>720000</td><td>703</td><td>150</td><td>105450</td><td>825450</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>6</td><td>1880000</td><td>1928</td><td>450</td><td>289200</td><td>2169200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) यदि धूमीकरण सेवाएं बाहर से ली गई हैं तो ठेकेदारों के साथ निष्पादित क़रार की प्रतियां पेश की</td><td>2004-05 से 2009-10 तक कोई भी धूमीकरण सेवा निजी एजेन्सियों से आउटसोर्स की गई है ।</td></tr>
</table>

	जाएं।	
(iv)	(क) पुष्टि करें कि जून 2007 के प्रशुल्क संशोधन में विचारित नियोजित पूंजी में धूमीकरण सेवाओं से संबंधित परिसंपत्तियां शामिल नहीं थी।	जी हां, जून 2007 के प्रशुल्क संशोधन में विचारित नियोजित पूंजी में धूमीकरण सेवाओं से संबंधित परिसंपत्ति शामिल नहीं थी।
	(ख) प्रस्तावित धूमीकरण प्रभारों की गणना के लिए विचार किए गए सुरक्षा उपकरण, यदि कोई हो, के साथ-साथ के.भं.नि. द्वारा धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए गए उपकरणों का ब्यौरा दें।	सीएफएस / केपीटी में धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए लगाए गए उपकरणों / सुरक्षा उपकरणों की सूची प्रस्तुत है।
	(ग) चूंकि जून 2007 में के.भं.नि. का दरमान संशोधित करते समय इस प्राधिकरण द्वारा, नियोजित पूंजी पर 16% की दर से, क्षमता उपयोग के अनुसार समायोजित प्रतिलाभ अनुमत किया गया था, प्रस्तावित धूमीकरण प्रभारों के निर्धारण के लिए के.भं.नि. के लाभ पर विचार करने का आधार प्रस्तुत किया जाए।	जैसा कि तकनीकी कार्मिक केवल मात्र धूमीकरण के लिए लगाए गए थे, प्रस्तावित धूमीकरण प्रभारों में के.भं.नि. के लाभ को शामिल किया गया है।
	(घ) जैसाकि नियोजित पूंजी पर प्राधिकरण द्वारा अनुमत 16% प्रतिलाभ कर के बाद का है, धूमीकरण प्रभारों के प्रयोजन से आयकर के अवयव पर विचार न किया जाए।	जैसी इच्छा व्यक्त की गई है, आय कर अवयव हटा दिया गया है।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड्स पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के सारांश संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 जून 2007 के अपने आदेश में के.भ.नि. के दरमान को अनुमोदित करते हुए कहा था कि भारत सरकार में समुचित प्राधिकारी द्वारा धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने हेतु के.भ.नि. को अधिकृत किए जाने पर कोई संदेह नहीं है किन्तु जहां तक प्रशुल्क का संबंध है, इसे इस प्राधिकरण की स्वीकृति (मंजूरी) की आवश्यकता है क्योंकि के.भ.नि. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत प्रदत्त लाइसैंस के आधार पर ही सीएफएस प्रचालित कर रहा है। के.भं.नि. का प्रस्ताव इस प्राधिकरण के कथित निदेश के अनुसरण में ही है।

9.1 कांडला पोर्ट स्टीवेडोर्स एसोसिएशन (केपीएसए) द्वारा उठाये गये मुख्य बिन्दुओं में से एक यह है कि धूमीकरण एक पत्तन सेवा नहीं है और इस प्रकार के.भं.नि. द्वारा प्रस्तावित दर के अनुमोदन पर विचार नहीं किया जाए। महापत्तन न्यास अथवा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा पत्तन पर अथवा पत्तन के पहुंच मार्गों के संबंध में प्रदत्त सेवाओं के संदर्भ में प्रशुल्क और शर्तें निर्धारित करना इस प्राधिकरण के लिए अनिवार्य है, जैसाकि सीएफएस सेवाएं प्रदान करने के लिए के.भं.नि. को केपीटी द्वारा प्रदत्त

लाइसैंस महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के अधीन है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा जाता है कि महापत्तन न्यासों के भीतर के.भं.नि. द्वारा प्रदत्त धूमीकरण सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित करना इस प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र के भीतर आता है। यह स्थिति के.भं.नि. के पिछले प्रशुल्क संशोधन में स्पष्ट की गई थी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी / 21 / 2006 - सीसीटीएल दिनांक 28 मार्च 2007 माध्यम से चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) के दरमान में भी तंबाकू कंटेनर के धूमीकरण का प्रशुल्क अनुमोदित किया था।

9.2 केपीएसए ने आरोप लगाया है कि के.भं.नि., दूसरी धूमीकरण एजेन्सियों को सीएफएस वाला काम अपने हाथ में नहीं लेने देता। इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दरमान के पिछले संशोधन के समय के.भं.नि. ने अपने पत्र सं. सीडब्ल्यूसी / आरओ-अहमदा. /बिजी / सीएफएस-केपीटी-टीएएमपी / 2007 दिनांक 3 मई 2007 के माध्यम से हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया है कि वह वेयर हाउसिंग अधिनियम 1962 के अधीन प्राधिकृत है किन्तु सीएफएस में उपयोगकर्त्ताओं को छूट है कि वे धूमीकरण सेवा किसी भी प्राधिकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। इसने ज़ोर देकर कहा है कि निर्यातक द्वारा दिए गए लाइसैंस के प्रावधानों के अनुसार धूमीकरण सेवाएं विभिन्न अन्य एजेन्सियों द्वारा भी प्रदान की जाती हैं। कांडला पत्तन न्यास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि निजी एजेन्सियों द्वारा लगाए गए प्रभारों को देखते हुए प्रस्तावित दरें न्याय संगत हैं। पिछले प्रशुल्क संशोधन में के.भं.नि. द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति से और केपीटी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से यह माना जाता है कि उपयोगकर्त्ता चाहें तो किसी अन्य प्राधिकृत एजेन्सी से धूमीकरण सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

9.3 चूंकि, केपीएसए के अलावा जिनका उत्तर दे दिया गया है किसी उपयोगकर्त्ता / उपयोगकर्त्ता एसोसिएशन की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और कांडला पत्तन न्यास द्वारा रखे गए पक्ष पर विचार करते हुए कि उस क्षेत्र में धूमीकरण सेवाएं प्रदान करने वाली अन्य निजी एजेन्सियों द्वारा प्रभारित प्रभारों को देखते हुए प्रस्तावित दर तार्किक / न्याय संगत हैं, इस प्रकरण मे संयुक्त सुनवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

10.1 के.भं.नि. ने, सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त रसायनों के आधार पर और सेवा प्रदान करने के लिए सम्मिलित अन्य लागत अवयवों को ध्यान में लेते हुए धूमीकरण सेवा के लिए विभेदीय दर प्रस्तावित की है। मिथाइल ब्रोमाइड से धूमीकरण 20'कंटेनर के लिए रू. 1200 प्रति कंटेनर और 40'कंटेनर के लिए रू. 2250/- प्रति कंटेनर प्रस्तावित किया गया है, और एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से धूमीकरण 20'और 40' कंटेनरों के लिए क्रमशः रू. 400/- एवं रू. 800/- प्रति कंटेनर प्रस्तावित किया गया है । केपीटी ने बताया है कि प्रस्तावित दरें न्याय संगत

हैं। आरंभ में, के.भं.नि. द्वारा प्रस्तावित दरों में आय कर अवयव भी शामिल हैं जिसे बाद में के.भं.नि. ने शामिल न करना मान लिया है। तदनुसार, मिथाइल ब्रोमाइड से धूमीकरण कि लिए 20'कंटेनर के लिए रू. 1150/- प्रति कंटेनर और 40'कंटेनर के लिए रू. 2150/- प्रति कंटेनर प्रभार अनुमोदित किए जाते हैं। इसी प्रकार, एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से धूमीकरण के लिए 20'और 40'कंटेनरों के लिए प्रभार क्रमशः 375/- और रू. 720/- प्रति कंटेनर अनुमोदित किए जाते हैं। यह बताने के लिए कि उपयोगकर्त्ता के अनुरोध पर प्रदान की जाने वाली यह एक ऐच्छिक सेवा होगी, एक नोट डाला जा रहा है।

10.2 जैसाकि पहले ही बताया गया है, के.भ.नि. द्वारा मिथाइल ब्रोमाइड और एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से धूमीकरण के लिए 20' कंटेनर के लिए क्रमशः रू. 990/- और रू. 300/- प्रति कंटेनर प्रभार लिए जा रहे हैं। अनुमोदित दर पर, के.भं.नि. द्वारा उगाहे जा रहे वर्तमान प्रशुल्क में क्रमशः 16% और 25% वृद्धि परिगणित होती है। के.भं.नि. द्वारा सूचित की गई वर्ष 2006-07 में हुई रू. 37.69 लाख की उच्चतम आय पर विचार करते हुए अनुमोदित प्रशुल्क से रू. 7.5 लाख प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय होगी। संशोधित धूमीकरण प्रभारों से आय पर, के.भं.नि. के दरमान की समीक्षा करते समय जो संशोधन के लिए पहले से ही अपेक्षित है, आय अनुमान में विचार किया जाएगा।

11. के.भं.नि. ने एक नोट प्रस्तावित किया है जिसके अनुसार, यदि प्रासंगिक रसायनों का मूल्य 5% बढ़ता है तो दरों में वृद्धि का प्रावधान है। केपीएसए ने इस शर्त पर आपत्ति व्यक्त की है। यह स्वीकार किया जाना

चाहिए कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें तीन वर्ष में एक बार समीक्षा के अधीन हैं। चलाई गई समीक्षा / संशोधन प्रक्रिया में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर लागत मदों को वार्षिक रू प से बढ़ाने की अनुमति है और प्रशुल्क मार्गदर्शियों में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार प्रासंगिक लागत मदों को यातायात के लिए समायोजित किया जाता है। इस प्रकरण में के.भं.नि. का मानना है कि थो.मू.सू. पर आधारित, अनुमत वार्षिक वृद्धि से धूमीकरण के लिए प्रयुक्त रसायनों की लागत में वृद्धि की भरपाई / क्षतिपूर्ति नहीं होगी। तो वह लागत गणना में अपनायी गई मूल दर के संदर्भ से प्रदत्त दर में वार्षिक वृद्धि के लिए एक सूत्र (फार्मूला) प्रदान करने हेतु, पिछले रू झान के आधार पर समुचित औचित्य के साथ एक उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आए।

12. जून 2007 में पिछले दरमान में संशोधन करते समय, के.भं.नि. को इस शर्त के साथ, धूमीकरण सेवा के लिए प्रभार उगाहने की अनुमति प्रदान की गई थी कि के.भं.नि. धूमीकरण प्रभारों के निर्धारण के लिए अपना प्रस्ताव 31 अगस्त 2007 तक दाखिल कर दे। के.भं.नि. ने प्रस्ताव निर्धारित तिथि के भीतर दाखिल कर दिया है। प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.4 में यह प्रावधान किया गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित फाइनल दरें भावी प्रभाव से लागू होंगी, किन्तु उसी समय, तदर्थ आधार पर पत्तन / प्रचालक द्वारा उगाही गई दर की यदि वह बहुत अधिक नहीं है इस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने की अनुमति प्रदान करती है। चूंकि के.भं.नि. द्वारा धूमीकरण सेवाओं के लिए (तदर्थ आधार पर) उगाहे गए प्रभार अनुमोदित दरों से कम हैं, धूमीकरण सेवाओं के लिए के.भं.नि. द्वारा (तदर्थ आधार पर) उगाहे गए प्रभारों की पुष्टि की जाती है। अब अनुमोदित की गई दरें, भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के बाद प्रभाव में आएंगी।

13. के.भं.नि. ने यह कहते हुए एक नोट प्रस्तावित किया है कि सेवा कर तथा केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई अन्य कर अलग से प्रभारित किए जाएंगे। लागू होने वाले कर अलग से प्रभार्य हैं। इस तरह का नोट अन्य महापत्तनों / टर्मिनलों के दरमान में प्रदत्त नहीं हैं क्योंकि यह एक प्रशुल्क मद नहीं है। यहां तक कि के.भं.नि. के वर्तमान दरमान में भी इस बारे में अलग नोट नहीं दिया गया है। इसलिए, यह नोट केवल इसी सेवा के लिए प्रदान नहीं किया गया है।

14. परिणाम स्वरू प, और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित मद, के.भं.नि. के वर्तमान दरमान में अध्याय-II कंटेनर / कार्गो प्रहस्तन एवं परिवहन प्रभार में ग - सामान्य प्रचालन के अन्तर्गत क्रम सं. (18) के रू प में शामिल किए जाने को अनुमोदन प्रदान करता है।
''

क्र.सं.	प्रचालनों का ब्यौरा	दर (रू पयों में)	
		20'कंटेनर	40'कंटेनर
ग (18)	सामान्य प्रचालन (क) मिथाइल ब्रोमाइड से धूमीकरण प्रभार (ख) एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से धूमीकरण प्रभार	 1150.00 375.00	 2150.00 720.00
	नोट :- प्रासंगिक उपयोगकर्त्ता के अनुरोध पर प्रदान की जाने वाली यह एक वैकल्पिक सेवा होगी।		

(रानी जाधव)
अध्यक्ष